



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, न्यायवादी तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roc.z.lko-mef@nic.in, goimoeftrolko@gmail.com

दिनांक : 16.02.2024

पत्र सं० : 8बी/यूपी०/०६/३०३/२०२२/एफ.सी. 1530

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/ROAD/151936/2022**

विषय: अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 1676/11-सी-FP/UP/Road/151936/2022, दिनांक 04.01.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-344/81-2-2022-800(334)/2022, दिनांक 20.10.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रणत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 08.09.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रेषित अनुपालना पर परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराए ताकि प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the Parivesh portal, The KML file of the proposed CA land of the Ramnagar Range is corrupts. This needs to be re-uploaded.
2. The Positional error has been found in the proposed CA site of Tikri Range. The KML file/Geo geo-referenced map needs to be revised.
3. The net suitable area for plantation as per DSS analysis is 3.58 ha, which is lower than the actual required CA land area.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)  
सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, फैंजाबाद, गोण्डा एवं बस्ती।
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)  
सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 2216 /11-सी-FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ, दिनांक: मार्च 04, 2024

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, बस्ती, गोण्डा एवं अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।